भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 91

गुरुवार, 02 फरवरी, 2023 /13 माघ, 1944 (शक)

'गिग' अर्थव्यवस्था संबंधी नीति

91. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'गिग इकॉनोमी' के संबंध में भारत में कोई स्पष्ट विनियम एवं नीतियां मौजूद नहीं है;

(ख) क्या सरकार 'गिग इकॉनोमी' के लिए स्पष्ट विनियम एवं नीतियां बनाने का विचार रखती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विनियम एवं नीतियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और अपंगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य तथा प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण, इत्यादि पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का उपबंध है तथा निधि के स्रोतों में से एक स्रोत, एग्रीगेटर के वार्षिक टर्नोवर के 1 से 2% के बीच का अंशदान है, बशर्ते कि ऐसे कामगारों को एग्रीगेटर द्वारा भुगतान राशि या देय राशि की सीमा 5% हो।

****